न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 07 / 2020 / अपील

उनवान

1. हजारीलाल पि. बालाराम जाति दांगी नि. निसानिया तहसील सुसनेर म.प्र.

––अपीलांट

बनाम

1. भगवानसिंह पि. हजारीलाल नाबा.संरक्षक माता सुमित्राबाई जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
2. मुकेश कुमार पि. हजारीलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
3. रितु कुमारी पि. हजारीलाल नाबा.संरक्षक माता सुमित्राबाई जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
4. सुमित्राबाई बेवा हजारीलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा
5. ग्राम पंचायत डोला पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

–– रेस्पोडेन्टस

अपील बराराजगी आदेश दिनांक 20.09.2018
नामा0सं. 1598 ग्राम पंचायत डोला

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री सुभाष दांगी

वकील रस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 – श्री कालूराम मेघवाल

आदेश **दिनांक :** 17/02/2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत डोला द्वारा निर्णित नामा.सं. 1598 दिनांक 20.09.2018 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डोला की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 314 की आराजी ख.नं. 405 रकबा 1.5049 हेक्टर भूमि में अपीलार्थी खातेदार के जीवित होने के बावजूद अन्य खातेदार हजारीलाल पि. बालाराम नि. निपानिया के फोत होने से अपीलार्थी के खाते की भूमि में नामा.सं. 1598 दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलांट नि. निसानियां तहसील सुसनेर का रहने वाला है एवं जीवित है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डोला द्वारा बिना विधिक जांच किये त्रुटीपूर्ण आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत डोला द्वारा बिना अपीलांट को सूचना दिये एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by TapScanner

आदेश पारित किया। वादग्रस्त आराजी का खातेदार अपीलांट जीवित होकर ग्राम निसानिया तहसील सुसनेर में रहता है। अपीलांट ने उक्त आराजी रोडीलाल पि. लक्ष्मण, विष्णु, कमलीबाई पिता फूलचन्द, कंवरीबाई बेवा फूलचन्द नि. डोला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2000 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जो कि नामा.सं. 459 दिनांक 27.09.2000 से अपीलांट के खाते दर्ज हुई थी। अपीलार्थी एवं ग्राम निपानिया के निवासी हजारीलाल पि. बालाराम के नाम एकसमान होने से यह गलती हुई है। दिनांक 13.08.2020 को नकल जमाबंदी देखने पर यह जानकारी अपीलांट को हुई। ग्राम पंचायत डोला द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये उक्त नामान्तरण को तस्दीक कर दिया जो काबिल खारीज है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत डोला के आदेश दिनांक 20.09.2018 नामा0सं0 1598 को खारीज कर अपीलांटस का नाम दर्ज किया जावे। अपील के साथ ग्राम डोला की जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 314 व नामा.सं. 1598, 459 की प्रमाणित प्रति व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2000 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब करने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट का नाम दर्ज करने हेतु सहमति दी गई। रेस्पोडेट सं. 5 पेरोकार सरकार की ओर से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर नामा.सं. 1598 को निरस्त करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष अभिभाषकरण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम डोला की जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 314 की आराजी ख.नं. 405 रकबा 1.5049 हेक्टर भूमि अपीलांट द्वारा दिनांक 03.07.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसके आधार पर नामा.सं. 459 दिनांक 27.09.2000 से अपीलांट के खाते दर्ज हुई। अपीलांट खातेदार हजारीलाल पि. बालाराम नि. निसानिया तहसील सुसनेर के जीवित होने के बावजूद एक जैसे नाम होने से अन्य फोत खातेदार हजारीलाल पि. बालाराम नि. निपानिया तहसील पिडावा का फोती नामान्तरण अपीलांट के खाते की भूमि में दर्ज कर दिया गया जिसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by TapScanner

जांचकर्त्ता अधिकारी एवं तस्दीककर्ता ग्राम पंचायत डोला द्वारा बिना किसी विधिक जांच किये तस्दीक कर दिया जो कि गलत है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलांट हजारीलाल पि. बालाराम नि. निसानिया तहसील सुसनेर के जीवित होने के बावजूद नामा.सं. 1598 दर्ज कर तस्दीक कर दिया जो कि गलत है जिसे न्यायहित में खारीज किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम डोला की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 314 की आराजी ख.नं. 405 रकबा 1.5049 हेक्टर के संबंध में दर्ज नामा.सं. 1598 दि. 20.09.2018 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पिडावा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर नये सिरे से सही नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner